श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 22-04-2015 को 10:00 बजे पूर्वाह्न में समाहरणालय, सभा कक्ष मधेपुरा में दिनांक 21-04-2015 को आँधी से हुई क्षति का आकलन से संबंधित आपदा प्रबंधन की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को कल रात आये आँधी-तूफान से प्रभावित होनेवाले क्षेत्रों में जाकर प्रखंडस्तरीय सरकारी पदाधिकारी /कर्मी के माध्यम से आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत राशि नियमानुसार दिलवाने एवं क्षति का सर्वेक्षण करवाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सबसे ज्यादा क्षति संबंधी सूचना मुरलीगंज तथा बिहारीगंज प्रखंड से प्राप्त हो रही हैं। प्रखंडों मे निम्न प्रकार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

क्रमांक	प्रखंड का नाम	वरीय पदाधिकारियों का नाम
1	मुरलीगंज	1. श्री सुधीर कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा 2. श्री प्रदीप कुमार झा, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा 3. जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा 4. जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा
2	बिहारीगंज	1. श्री विनय कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा 2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा
3	आलमनगर	1. श्री अनिल कुमार रमण, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा 2. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, (शिक्षा) मधेपुरा
4	कुमारखंड	जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा
5	सिंहेश्वर	श्री विश्वनाथ साह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना शिक्षा, मधेपुरा
6	गम्हरिया /घैलाढ़	मो0 खुर्शीद आलम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा
7	शंकरपुर	श्री सुधीर कुमार सिन्हा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा
8	ग्वालपाड़ा	श्री अनुराग कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा
9	पुरैनी	मो0 बलाउद्दीन, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा
10	चौसा	श्री रविन्द्र कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज

श्री खुर्शीद आलम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि गम्हरिया प्रखंड के पश्चात् वे घैलाढ़ प्रखंड का भी परिभ्रमण कर प्रखंड विकास पदाधिकारी,

घैलाढ़ एवं अंचल अधिकारी, घैलाढ़ से समन्वय कर क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज प्रखंड के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी परिभ्रमण कर क्षति का आकलन करेंगे एवं प्रतिवेदन ससमय आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी वरीय पदाधिकारियों को आदेश दिया गया कि :-

1. सर्वप्रथम वैसे व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल हो उनके इलाज के लिए पी0एच0सी0 जाकर सभी उचित व्यवस्था करवाया जाय। गंभीर रोगियों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल भेजवाया जाय। सिविल सर्जन मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विषम परिस्थिति में ही कोई मरीज बाहर जाये, यदि विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हो तो भी आर0एस0बी0वाई0 के चिकित्सकों के सहयोग से उचित इलाज की व्यवस्था करावें। हड्डी के डॉक्टर हेतु डॉक्टर उदित राजा से सम्पर्क करें।
2. जिनकी मृत्यु हो गयी है वैसे व्यक्तियों के पोस्टमार्टम तुरंत कराने के लिए सिविल सर्जन को निदेशित किया गया है।वरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अनुग्रह अनुदान के रूप में वर्त्तमान संशोधित के दर से 4 लाख रूप्ये की राशि तत्काल प्रखंड या अंचल में उपलब्ध निधि से मृतक के आश्रित को नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. सभी वरीय पदाधिकारियों को बताया गया कि मानव क्षति के अन्तर्गत मृत्यु, विकलांगता एवं गंभीर चोट जिसके कारण हॉस्पीटल में भर्त्ती होना पड़ा हो, वैसे मामले का अविलंब प्रतिवेदन फोटोग्राफ के साथ भेजें।
4. मकान क्षति अन्तर्गत कच्चा तथा पक्का मकान के लिए पूर्ण क्षति, अत्यधिक क्षति एवं आंशिक क्षति (कम से कम 15 प्रतिशत) के रूप में वर्गीकरण करते हुए सभी पंचायतस्तरीय कर्मियेां के माध्यम से सर्वेक्षण करवाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक तीन या चार पंचायतों पर प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 /कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा एवं अन्य को पंचायत स्तरीय सर्वेक्षण टीम के प्रतिवेदन की जाँच करवाने का निदेश दिया गया।

झोपड़ी तथा घर के साथ संलग्न पशु शेड के ध्वस्त होने पर भी आपदा से राहत देने का प्रावधान है। इसलिए मकान क्षति के तहत इसका भी सर्वेक्षण कराया जाय।

5. सभी वरीय पदाधिकारियों को बताया गया कि पशु क्षति के अन्तर्गत दुधारू पशुओं, अदुग्धकारी पशुओं एवं पॉल्ट्री के क्षति का भी आकलन किया जाय। मृत पशुओं की स्थिति में जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि पोस्टमार्टम जाँच एवं फोटोग्राफी के माध्यम से पशु क्षति का प्रतिवेदन अविलंब भेजें।
6. जिला कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि कृषि फसल एवं हॉर्टीकल्चर फसल की क्षति का सर्वेक्षण कराकर प्रतिवेदन समर्पित करें।

7. सभी वरीय पदाधिकारियों को निदेशित किया कि क्षेत्र में जाकर विभिन्न प्रकार की क्षतियों का मोबाइल के द्वारा ही विडियोग्राफी या फोटोग्राफ लिया जाय। मानव क्षति एवं घायल व्यक्तियों के लिए तत्काल उपलब्ध निधि से राहत राशि दिलवाया जाय।
8. यदि पेड़ या पोल-तार के गिरने से रास्ता अवरूद्ध हो गया है, तो आवागमन सुलभ बनाने के लिए स्थानीय संवेदक के सहयोग से जे0सी0बी0 प्राप्त कर तत्काल हटवाना सुनिश्चित किया जाय।
9. मधेपुरा मुख्यालय में यत्र-तत्र पेड़ों /बिजली के पोल गिरने के सूचना प्राप्त हुई है। सिटी मैनेजर, नगर परिषद्, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अविलंब शहर में भ्रमण कर कार्यपालक अभियंता, विद्युत के सहयोग से पेड़ /बिजली के पोल इत्यादि को हटवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि आवागमन बहाल हो सके।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 105 /आ0 मधेपुरा दिनांक 22.04.2015

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /सभी अंचल अधिकारी /सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी /सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा / श्री विश्वनाथ साह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना शिक्षा, मधेपुरा /सिटी मैनेजर, नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, शिक्षा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/04/15
जिलाधिकारी
मधेपुरा।